


संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.7(4)ऑनलाईन/आकाशि/अकाद/2019-20/959-60 दिनांक 11.06.2020 के बिन्दु संख्या 2 में अंकित क्रमोन्नत विद्यार्थियों का ओ.बी.सी. का सर्टिफिकेट/शपथ-पत्र व सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय की वेब साईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें के स्थान पर केन्द्र व राज्य सरकार की एडवायजरी कोविड 19 के मध्य नजर विद्यार्थियों के हित में ओ.बी.सी. का सर्टिफिकेट/शपथ-पत्र व सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय की वेब साईट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, पढा जावे। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् यदि शुल्क राशि में अन्तर आता है तो महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से अन्तर शुल्क की राशि वसूली/लौटा दी जावेगी।

कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं लोक डाउन के कारण समस्त प्रकार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी कार्यालय बन्द रहे हैं इससे अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने के मध्य नजर महाविद्यालयों में छात्रों से ली जाने वाली फीस में अभिवृद्धि नहीं की जावेगी।



(डा. दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को पालनार्थ।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।



(डा. दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)